

डिकी मुकदमा इत्दादाई

(ओ० 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम - हिण्डौन जिला करौली
इजलास

पीठासीन अधिकारी :-

मुकदमा नं०-52/2019

हेमराज गूर्जर, R.A.S.

तारीख रजु:- 05.04.2019

जीसीएमएस आई०डी०-2019/00058

बिरमा बेवा मुंशीलाल उम्र 50 साल जाति गोना निवासी ग्राम कोडिया तहसील हिण्डौन
जिला करौली राज०

-----वादीया


बनाम

1. रामचरण पुत्र हल्के उम्र 55 साल
2. लोकेश पुत्र रामचरण उम्र 26 साल
3. विक्रमवाई पत्नि लोकेश उम्र 23 साल
4. शिवकुमार पुत्र रामचरण उम्र 21 साल
5. केशन्ती पत्नि रामचरण उम्र 50 साल
6. हल्के पुत्र सुन्दर उम्र 80 साल
7. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये लेण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील हिण्डौनसिटी जिला करौली
8. सब रजिस्ट्रार श्रीमहावीरजी तहसील हिण्डौन जिला करौली
9. बैंक ऑफ बडौदा शाखा श्रीमहावीरजी जरिये शाखा व्यवस्थापक

-----प्रतिवादीगण-09

दावा बावत् घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरुस्ती, भूमि विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा
मुकदमा न० 52/2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे हाजिरी श्री हरिबल्लभ चतुर्वेदी एडवोकेट मिन कानिव मुदई रूबरू एकपक्षीय कार्यवाही जानिव मुदायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि विवादित आराजीयात के संबंध में वादी अपनी सम्पूर्ण दस्तावेजी व जुबानी सहादत से उक्त वाद पत्र को साबित करने असफल रहा है। दावा खिलाफ प्रतिवादीगण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188, 53, 88 खारिज किया जाता है।


(हेमराज गूर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन (जिला करौली)